न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 121/2019

गरमीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी गांव व डाक खाना चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. जोगेन्द्र कौर पत्नि दारा सिंह जाति जट सिख निवासी चक 12 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जट सिख निवासी चक 10 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. बलविन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. मनदीप सिंह पुत्र कुलदीप सिंह उर्फ कुलजीत सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. गुरिन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. कुलदीप सिंह उर्फ कुलजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय संगत सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. महमा सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. मनजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति काम्बोज सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. जंगीर सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति का काम्बोज सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. महेन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति काम्बोज सिख निवासी चक 1 सी छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर
11. वीर सिंह पुत्र करंस सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. रणजीत सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. बलविन्द्र सिंह उर्फ बलवन्त सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. जसवीर सिंह पुत्र को सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:08 IST
Reason: SelfAttested

15. स्वर्ण सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
16. रणधीर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी 2 जे. डी.डब्लयू, चिस्तीयां, तहसील व जिला हनुमानगढ़
17. गुरमीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
18. गुरतेज सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
19. गुरेन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
20. सतनाम सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जट सिख निवासी चक 10 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
21. सुरजीत कौर पुत्री शेर सिंह जाति ज़ट सिख निवासी चक 10 जैड़, 117 तहसील श्रीगंगानगर
22. राज सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जट सिख निवासी जगीयाना, तहसील वा जिला बरनाला (पंजाब)
23. हरजीत सिंह पुत्र ऊकर सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
24. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — — प्रार्थी
2. श्री रामकुमार अधिवक्ता — — अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 20, 22
3. पैरोकार राज — — अप्रार्थी संख्या 24
4. अप्रार्थी संख्या 2 व 21 के विरूद्ध दिनांक 29.11.2019 को तथा अप्रार्थी संख्या 23 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

—:: आदेश ::— दिनांक :—28.02.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:08 IST
Reason: SelfAttested

प्राथी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्र[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में [illegible] किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि [illegible] के चक 1 सी छोटी, पटवार क्षेत्र 3 सी छोटी, भू.अ.नि. क्षेत्र रामनगर का खाता [illegible] 27/16, मुरब्बा नम्बर 42 का किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम, 5/1 में 0.126 है., 7/2 में 0.042 है., 8 ता 10 प्रत्येक सालम एवं किला नम्बर 11/1 में 0.171 है. तादादी कुल 2.110 है. दर्ज रिकॉर्ड है जिसका एकमात्र खातेदार एवं काबिज काश्तकार प्रार्थी है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण के नाम से मुश्तरका खाता में भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 सी छोटी का मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 10 में भूमि, अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से मुरब्बा नम्बर 16 का

किला नम्बर 10 व 11 में भूमि, अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 10, 11, 20, 21 एवं मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 5 में भूमि, अप्रार्थी संख्या 4 ता 15 के नाम से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 20 व 21 में मुश्तरका खाता में भूमि, अप्रार्थी संख्या 16 के नाम से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 20 व 21, मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 1 ता 5 एवं मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 5 वा 6 में भूमि, अप्रार्थी संख्या 17 ता 18 के नाम से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 20 व 21, मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 1 ता 5 एवं मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 5 में भूमि, अप्रार्थी संख्या 19 के नाम से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 20 व 21 में भूमि, अप्रार्थी संख्या 20 के नाम से मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 1 में भूमि, अप्रार्थी संख्या 21 के नाम से मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 15, 16, 25 में भूमि, अप्रार्थी संख्या 22 के नाम से मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1/1 में भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 23 के नाम से मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 1 में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि प्रार्थीगण की भूमि से चिपती हुई कृषि भूमियां है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी की मुरब्बा नम्बर 42 की कृषि भूमि अप्रार्थीगण की भूमि मुरब्बा नम्बर 19, 18, 17 एवं 16 से निरन्तरता में चिपती हुई हुई है। नजरिया ग्राफ नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में पूर्व अर्सा दराज से एवं अप्रार्थीगण के साथ परस्पर सहमति से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 सी छोटी के मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 115 फीट लम्बा, 10, 11, 20, 21 में प्रत्येक में से चल रहे 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा रास्ता से होकर, मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 1 में केवल 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च मोड़ पर चल रहे रास्ता से होकर, मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 1 ता 5 में चल रहे 10 फीट चौड़ा रास्ता, जो कि सरकारी खाल के साथ खाल की भूमि को छोड़कर है, से होकर, मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 5 में से मुडते हुए जहां कि 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च रास्ता हेतू स्थान छोड़ा हुआ है एवं इसके उपरान्त 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा किला की लम्बाई में से होकर किला नम्बर 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा रास्ता से होकर अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/1 में प्रवेश करता है। प्रार्थी ने अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 20 फीट लम्बा रास्ता छोड़ा हुआ है जिससे मुरब्बा नम्बर 43 के काश्तकार पीछे से उपरोक्तानुसार आकर अपनी भूमि में प्रवेश करते है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अक्सर प्रार्थी एवं अन्य काश्तकारान को परेशानी उठानी पड़ती है ऐसी स्थिती में उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नया रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है क्योंकि परस्पर सहमति से चल रहे उक्त रास्ता को अवरोधित किये जाने का भय होने के कारण किसी भी काश्तकार के द्वारा किसी भी समय बन्द किये जाने की संभावना है इसलिये प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 42 में जाने के लिए तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 सी छोटी के मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 115 फीट लम्बा, 10, 11, 20, 21 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा, [illegible]र 17 का किला नम्बर 1 में केवल 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट [illegible] का किला नम्बर 1 ता 5 में 10 फीट चौड़ा, सरकारी खाल के साथ खाल की [illegible] को छोड़कर, मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 5 में से मुडते हुए [illegible] ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च रास्ता एवं इसके उपरान्त 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा किला की लम्बाई में से होकर किला नम्बर 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 20 फीट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए नहीं है इसलिये प्रार्थी अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 42 में जाने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:08 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। कानूनन प्रार्थी को उसकी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता आने जाने हेतू उपलब्ध करवाया जाना एवं स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है जिसके विकल्प में प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ता की भूमि की ऐवज में डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अदा करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। मौका नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतू उपरोक्त वर्णित रास्ता के अलावा अन्यत्र कोई विधिसम्मत रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को कई मरतबा जाकर निवेदन किया कि वे तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 सी छोटी के मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 115 फीट लम्बा, 10, 11, 20, 21 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा, मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 1 में केवल 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च मोड़ पर, मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 1 ता 5 में 10 फीट चौड़ा, सरकारी खाल के साथ खाल की भूमि को छोड़कर, मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 5 में से मुडते हुए जहां कि 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च रास्ता एवं इसके उपरान्त 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा किला की लम्बाई में से होकर किला नम्बर 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 20 फीट लम्बा रास्ता को स्वीकृत करवाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लेवें जिससे कि प्रार्थी एवं मुरब्बा नम्बर 43 के काश्तकारों को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतू सुगम एवं सुविधाजनक स्वीकृत रास्ता उपलब्ध हो सके एवं इस हेतू प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि की पूर्ति डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से करने हेतू भी तैयार व तत्पर है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा करने से दिनांक 25.07.2019 को कतई इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण की उक्त इन्कारी से ही प्रार्थी को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतूक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 24 से भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर उक्त रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा माननीय से आदेश लाने का कहे जाने पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 24 के खिलाफ भी वाद हेतूक प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एक रूपये की उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 सी छोटी के मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 115 फीट लम्बा, 10, 11, 20, 21 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा, मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 1 में केवल 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च मोड़ पर, मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 1 ता 5 में 10 फीट चौड़ा, सरकारी खाल के साथ खाल की भूमि को छोड़कर, मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 5 में से मुडते हुए जहां कि 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च रास्ता एवं इसके उपरान्त 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा किला की लम्बाई में से होकर किला नम्बर 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 20 फीट लम्बा रास्ता मुताबिक मौका ग्राफ नक्शा स्वीकृत किया जाकर रिकॉर्ड में खोला जावे जिससे कि प्रार्थी अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/1 में प्रवेश कर सके। प्रार्थी विकल्प में भूमि की पूर्ति डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से करने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 21 के विरूद्ध दिनांक 29.11.2019 को तथा अप्रार्थी संख्या 23 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 20, 22 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के

पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। पूर्व में रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ते के बदले डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि मुआवजा देने हेतु तैयार है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी कथन किया है।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 20, 22 द्वारा दोराने बहस प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु " वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया जाता है। प्रार्थी के पास रास्ते का अभाव है, प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाया गया। अतः प्रार्थी को उसके रकबा में आने–जाने के लिए चक 1 सी छोटी के मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 115 फीट लम्बा, 10, 11, 20, 21 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा, मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 1 में केवल 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च मोड़ पर, मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 1 ता 5 में 10 फीट चौड़ा, सरकारी खाल के साथ खाल की भूमि को छोड़कर, मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 5 में से मुडते हुए जहां कि 16 फीट 6 ईन्च गुणा 16 फीट 6 ईन्च रास्ता एवं इसके उपरान्त 12 फीट 6 ईन्च. चौड़ा किला की लम्बाई में से होकर किला नम्बर 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/1 में 12 फीट 6 ईन्च चौड़ा एवं 20 फीट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी द्वारा रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है, उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक **28.02.2020** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:08 IST
Reason: SelfAttested